2614

[श्रो प्रिय गुप्ता]

के बयान पर डित्कशन के लिये तो वे भिन्न भिन्न इनकम ग्रुप के पर कैंपिटा इनकम तथा कर्ज के ग्रांकड़े भी ाउस के सामने रखें। उन्होंने सिर्फ एक्स्पेंडिचर के ग्रांकड़े बतलायें हैं। ताकि सही जांच भीर बहस हो सके।

Shri Tyagi (Dehra Dun): We will do it. (Interruption)

Shri Priya Gupta: I am a junior Member and he is a senior Member. Why should he interrupt me?

Mr. Speaker: Order, order.

श्री बागड़ी: मेरा एक व्यवस्था का प्रक्त है। मैं प्रध्यक्ष महोदय, प्राप का ध्यान इस तरफ खोंचना चाहता हूं कि डाक्टर साहब ने प्रपने बयान के दौरान एक बहुत जिम्मेदारी की बात कही है कि उन के पास कितने ही धमकी के खतूत प्राते हैं, ग्रौर इस सदन में भी यह बात ग्रा गई। इसके बारे में ग्रापने कोई जवाब नहीं दिया। जब सदन में यह बात ग्रा गई है तो उस के ऊपर कुछ न कुछ तो ग्राप को कदना है। चाहिये। इसके बाद खास किस्स का बात ग्रा गई है तो

श्रष्टाक्ष महोध्यः श्रगर वह सब ऋष मेरे पास भेज दें, तो जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह करूंगा। कहने की जरूरत ह₁गी तो कहूगा और करने की मी जरूरत हुई तो वह भी करूंगा।

12.10 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 5 BILL*, 1963

The Minister of Railways (Sardar Swaran Singh): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the

service of the financial year 1963-64 for the purposes of Railways.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purposes of the Railways."

The motion was adopted.

Sardar Swaran Singh: I introducet the Bill.

12.20 hrs.

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISES (AMENDMENT) BILL— contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri B. R. Bhagat on the 23rd August, 1963, namely:—

"That the Bill to amend the Customs Act, 1962 and further to amend the Central Excises and Salt Act, 1944 be taken into consideration."

Out of the one hour allotted for this Bill, 5 minutes have been taken and 55 miutes are still there. Shri Kashi Ram Gupta.

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि यह केन्द्रकी कर नीति के एकीकरण की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है । किन्तु मुझे इस बात का सन्देह है कि इस बिल में जो शब्द "गवर्नमेंट" रखा गया है उससे यह सप्पट हो सकेगा कि नहीं कि इसमें

^{*}Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Sections 2, dated 26-8-63.

[†]Introduced with the recommendation of the President.